[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/ 2020 –केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा. का. नि. ..... (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनयम,1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उन पर लगाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से उस स्थिति में छूट देती है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.95 और 4.96 के साथ पठित स्कीमफॉर रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज़ ऑन एक्स्पोर्ट्स ऑफ गार्मेंट्स एंड मेड-अप्स (एतश्मिन पश्चात जिसे आरओएससीटीएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (एतश्मिन पश्चात उक्त स्क्रिप से संदर्भित किया गया) के एवज में क्लीयर किया गया हो।

बशर्ते कि उक्त स्क्रिप, जिसके एवज में उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से छूट प्रदान की गयी हो, में वह क्रेडिट भी आती है जो कि हैंड बूक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 4.95 और 4.96 के अनुसार अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के अंतर्गत दिया गया हो।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-

(1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हो;

(2) कि ऐसी स्क्रिप का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह स्क्रिप मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतरित की गयी हो, उक्त स्क्रिप को उक्त सीमाशुल्क

प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफ़ार्मा इनवॉइस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्त्ता या विनिर्माता द्वारा दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का ब्यौरा दिया गया हो और उस वस्तु का विवरण और मूल्य भी दर्शाया गया हो जिसे कि क्लियर किया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो;

(3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, लागू होने वाले उस शुल्क को डेविट करेगा, यदि यह छूट न दी गयी हो तो या उक्त स्क्रिप को वापस किया गया हो तो और वह इससे संबंधित आवश्यक ब्यौरे का भी उल्लेख करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाईयों के बारे में लिखित सलाह भी देगा;

(4) कि निकासी के समय स्क्रिप का धारक उक्त स्क्रिप को जिसको कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा डेविट किया गया हो, उक्त अधिकारी को सौंपेगा और साथ-ही-साथ एक ऐसी अंडरटेकिंग भी देगा जो कि उक्त अधिकारी को संबोधित हो और इस आशय का हो कि यदि उक्त स्क्रिप में कम राशि डेविट की गयी हो तो वह माफ किये जाने जितनी राशि का भुगतान करेगा जितनी राशि कम की गयी हो और साथ में ही वह उसपर लागू ब्याज का भुगतान करेगा;

(5) कि उक्त लिखित सलाह और अंडरटेकिंग के आधार पर, उक्त अधिकारी निकासी के ब्यौरे को, उक्त स्क्रिप को वापस किये जाने पर, उसपर लगाये जाने वाले शुल्क के ब्यौरे, यदि यह छूट न दी गई हो तो, जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी ने डेविट किया हो, को अनुमोदित करता हो और ऐसे निकासी का रिकॉर्ड अपने पास रखता हो;

(6) कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से विनिर्माता उक्त स्क्रिप की प्रति, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के द्वारा डेविट की गई हो और उक्त अधिकारी के द्वारा प्रष्ठांकित हो और स्क्रिप धारक के द्वारा विधिवत सत्यापित हो; और

(7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल की निकासी की गई थी, उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के एवज में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में किसी भी बात के बावजूद 10 अप्रैल, 2019 को उसके बाद जारी की गई उक्त स्क्रिप के बारे में, जिसे पंजीकरण पत्तन पर बिना भौतिक प्रति के इलेक्ट्रॉनिक रूप से

जारी किया गया हो, जो कि सीमाशुल्क स्वचलन प्रणाली के तहत जारी किया गया हो, दी जाने वाली छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथाः-

(1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हो;

(2) कि ऐसी स्क्रिप का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह स्क्रिप मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतरित की गयी हो, उक्त स्क्रिप को उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफ़ार्मा इन्वोइस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्त्ता या विनिर्माता द्वारा दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का ब्यौरा दिया गया हो और उस वस्तु का विवरण और मूल्य भी दर्शाया गया हो जिसे कि क्लियर किया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो;

(3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, यदि यह छूट न दी गयी हो तो सीमाशुल्क स्वचालन प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस शुल्क को डेविट करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाइयों के बारे में लिखित सलाह देगा;

(4) क्लियरेंस के समय उक्त स्क्रिप धारक उक्त अधिकारी को इस बात की अंडरटेकिंग सौंपेगा कि यदि उक्त स्क्रिप में कम राशि डेविट की गई हो तो वह मांग किये जाने पर उक्त कम राशि के बराबर, की राशि तथा उसपर लगने वाले ब्याज का भी भुगतान करेगा;

(5) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्राप्त लिखित सलाह और उक्त अंडरटेकिंग के आधार पर उक्त अधिकारी क्लियरेंस के ब्यौरें और उसकी वैधता, जो कि उक्त लिखित सलाह में दी गयी हो, यदि छूट न दी गई हो तो उस पर लागू शुल्क के ब्यौरे, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के द्वारा डेविट की गई हो, को पृष्ठांकित करेगा और निकासी के रिकॉर्ड को अपने पास रखेगा।

(6) उक्त अधिकारी स्क्रिप धारक और विनिर्माता को उक्त पृष्ठांकित लिखित सलाह की एक विधिवत सत्यापित प्रति प्रदान करेगा, जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से अपने पास रखेंगे।

(7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल को क्लियर किया गया था, उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के एवज में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना में-

(I) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसे भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01/2015-2020, 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित है।

(II) "परिधान" और "मेड-अप्स" से वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (वॉल्यूम II), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसके द्वारा स्कीम फॉर रीबेट ऑफ स्टेट एन्ड सेन्ट्रल टैक्सेस एन्ड लेवीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एन्ड मेड-अप्स को अधिसूचित किया गया था, में दिया गया हो।

(III) क्षेत्रीय प्राधिकारी से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त किसी विदेश व्यापार महानिदेशक से है या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है जो कि प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा स्क्रिप भी आती है।

[फा.सं. 605/04/2020-डीबीके]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्रॉबैक)